नईदुनिया

भोपाल, 8 अगस्त 2026

खास-खबरें

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.51 अरब डॉलर बढ़कर 692.87 अरब डॉलर पर पहुंचा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार पांचवें हफ्ते इजाफा दर्ज हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 10.51 अरब डॉलर बढ़कर 692.87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आरबीआई ने शुक्रवार को आंकड़ों में बताया कि 31 जुलाई को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.51 अरब डॉलर बढ़कर 692.87 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 6.12 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 682.35 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वालीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 8.75 अरब डॉलर बढ़कर 564.68 अरब डॉलर हो गईं। साथ ही स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.68 अरब डॉलर बढ़कर 104.74 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई के मुताबिक इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 4.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.67 अरब डॉलर पर पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक आईएमएफ में देश का आरक्षित भंडार भी 2.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.78 अरब डॉलर हो गया। पिछले महीने केंद्र सरकार और आरबीआई ने देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के लिए एफसीएनआर (बी) समेत कई उपायों की घोषणा की थी।

अकासा एयर ने 4 साल पूरे होने पर शुरू किया लॉयल्टी कार्यक्रम 'अकासा एलीवेट'

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: विमानन कंपनी अकासा एयर ने अपने परिचालन के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को अपना लॉयल्टी कार्यक्रम अकासा एलीवेट शुरू किया। कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय दुबे ने अबतक के सफर को बेहद रोमांचक बताया। एयरलाइन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कंपनी ने कहा कि 07 अगस्त, 2022 को उड़ान परिचालन शुरू करने वाली एयरलाइन ने आज 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

कंपनी ने बताया कि 'अकासा एलीवेट' कार्यक्रम के तहत सदस्य पात्र उड़ानों के साथ सहायक उत्पादों और सेवाओं पर अंक भी अर्जित कर सकेंगे। एयरलाइन ने कहा कि 'अकासा एलीवेट' को ग्राहकों की निष्ठा के बदले उन्हें अधिक मूल्य, व्यक्तिगत पहचान और बेहतर यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

एयरलाइन ने कहा कि लोगों, जगहों और संभावनाओं को जोड़ने के हमारे चार साल पूरे। कंपनी ने कहा कि चाहे तेजी से टियर में आगे बढ़ना हो, अनलिमिटेड प्रायोरिटी सर्विस हो या ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी, हर फीचर को खासतौर पर आपके लिए सोच-समझकर डिजाइन किया गया है। अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अभी जुड़ें: शुक्रिया कहने का एक खास तरीका। एयरलाइन ने कहा कि सुलभ हवाई यात्रा के जरिए भारत के एविएशन सेक्टर की तरक्की में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिले सहयोग के लिए हम आभारी हैं और देश की सेवा जारी रखने के लिए तत्पर हैं।

मेटा पर 9,030 करोड़ रुपये का जुर्माना, अमेरिकी अदालत ने युवाओं की मानसिक सेहत पर जताई चिंता

अदालत ने प्लेटफॉर्म को युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा, सुरक्षा उपायों पर भी उठे सवाल

वॉशिंगटन, एजेंसी: अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा पर 942 मिलियन डॉलर अर्थात लगभग 9,030 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने माना कि कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि में से 420 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 3,993 करोड़ रुपये, युवाओं के उपचार पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता, रोकथाम और स्क्रीनिंग सेवाओं पर व्यय होगी। यह मामला दो चरणों में चला। पहले चरण में अदालत ने मेटा पर 375 मिलियन डॉलर का सिविल जुर्माना लगाया था। उस समय अदालत ने कहा था कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन उसने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। दूसरे चरण में अदालत ने 567 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। दोनों चरणों को मिलाकर कुल जुर्माना 942 मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत से

मेटा के प्लेटफॉर्म में बुनियादी बदलाव करने की मांग भी की। इसमें युवाओं को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने वाले फीचर्स में बदलाव, आयु सत्यापन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, डिफॉल्ट गोपनीयता सेटिंग्स को मजबूत करना तथा बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए निगरानी व्यवस्था सख्त करने जैसे सुझाव शामिल थे।

आदेश के खिलाफ अपील करेगी

यह मुकदमा न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेस ने दायर किया था। आरोप लगाया गया कि मेटा के प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं और कंपनी ने संभावित जोखिमों की अनदेखी की। जांच में यह भी सामने आया कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बच्चों और किशोरों, को अधिक समय तक जोड़े रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे उनमें लत, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। मामले में यह आरोप भी शामिल था कि प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों को फंसाने और उनके यौन शोषण के लिए किया गया तथा कंपनी ने पर्याप्त रोकथाम के उपाय नहीं किए। मेटा ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, हालांकि सभी दुरुपयोग करने वालों को पूरी तरह रोकना चुनौतीपूर्ण है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत बड़े कारोबारियों के उच्च मूल्य के लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने पर होगा अंतिम निर्णय

यूपीआई पर आम ग्राहकों से नहीं लगेगा कोई शुल्क

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई पर आम ग्राहकों से शुल्क वसूले जाने की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई सेवा पहले की तरह नि:शुल्क रहेगी। संसद में प्रस्तुत संशोधन विधेयक के बाद उठे विवाद पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम ग्राहकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

हाल में संसद में प्रस्तुत टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल-2026 के तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि भविष्य में यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाने

के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा व्यावसायिक लेन-देन के लिए कानूनी व्यवस्था तैयार करने से संबंधित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) केवल मर्चेंट्स अर्थात दुकानदारों और व्यापारियों पर लागू होता है। इसका भुगतान अंतिम उपभोक्ता नहीं करता। उन्होंने बताया कि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग बैंक और फिनटेक कंपनियां डिजिटल भुगतान अवसंरचना, नवाचार तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में करेंगी, जिससे पूरी डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी एमडीआर लागू करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद से विधेयक पारित होने के बाद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी इस विषय पर अंतिम निर्णय करेगी। फिलहाल यह केवल प्रस्ताव के स्तर पर है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि इस विषय पर अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली के संचालन की लागत वहन करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था आवश्यक है, जबकि आरबीआई की प्राथमिकता सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती डिजिटल भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर 0.3 से 0.5 प्रतिशत तक एमडीआर लगाने पर विचार किया जा रहा है। यह व्यवस्था केवल उन बड़े मर्चेंट्स पर लागू करने का प्रस्ताव है, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है। छोटे व्यापारियों, किराना दुकानों तथा आम ग्राहकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, धारा 10ए में संशोधन के बाद आवश्यकता पड़ने पर बड़े व्यावसायिक डिजिटल लेन-देन के लिए सीमित एमडीआर निर्धारित करने का अधिकार उपलब्ध हो सकेगा।

अफ्रीका में चीनी एआई मॉडल की बढ़ती पकड़, कम लागत ने बढ़ाई लोकप्रियता

- युगांडा और केन्या के डेवलपर्स ओपन-सोर्स विकल्पों को दे रहे प्राथमिकता
- अमेरिकी मॉडल पर बढ़ा दबाव

नैरोबी,एजेंसी: अफ्रीका के कई देशों में चीनी ओपन-सोर्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। युगांडा, केन्या, नाइजीरिया और घाना जैसे देशों के डेवलपर्स महंगे अमेरिकी एआई मॉडल के बजाय कम लागत वाले चीनी विकल्पों को अपनाने लगे हैं। स्थानीय भाषाओं के बेहतर समर्थन, कम परिचालन लागत और अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने की सुविधा को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। युगांडा में विकसित 'सनफ्लॉवर' प्रणाली इसका प्रमुख उदाहरण है। यह प्रणाली स्थानीय भाषाओं में किसानों को मौसम संबंधी जानकारी और कृषि सलाह उपलब्ध करा रही है। डेवलपर्स का कहना है कि चीनी मॉडल युगांडा की अनेक स्थानीय बोलियों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उन्हें अपने डेटा के अनुसार आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।

केन्या में इन मॉडलों का उपयोग कानूनी और व्यावसायिक सेवाओं को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं, नाइजीरिया में शिक्षा संबंधी उपकरण और घाना में स्थानीय चैटबॉट विकसित किए जा रहे हैं। डेवलपर्स का कहना है कि उनके लिए मॉडल किस देश में विकसित हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए लागत, कम्प्यूटिंग संसाधनों की उपलब्धता और डेटा पर नियंत्रण अधिक अहम है। आंकड़ों के अनुसार ओपनराउटर पर कुल एआई उपयोग का लगभग आधा हिस्सा अब चीनी ओपन-सोर्स मॉडलों का है, जबकि एक वर्ष पहले यह 25 प्रतिशत से भी कम था। हगिंग फेस मंच पर भी सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले मॉडलों में चीनी प्रणालियां आगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी एआई मॉडल प्राय: सदस्यता आधारित और शुल्क वाले हैं, जबकि चीनी ओपन-सोर्स मॉडल बिना अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के डाउनलोड कर संशोधित किए जा सकते हैं।

बिहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 12 अगस्त को खुलेगा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 12 अगस्त को खुलेगा। इसमें निवेश करने के लिए निवेशक 14 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 271-285 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इंजीनियरिंग कास्टिंग और मिश्रधातु इस्पात उत्पाद बनाने वाली कंपनी बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 10 फेस वैल्यू वाले इस निर्गम में 93 करोड़ रुपये तक के 33 लाख नए शेयर जारी होंगे। साथ ही 208.62 करोड़ रुपये के 73.20 लाख शेयर मौजूदा शेयरधारकों की ओर से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) में बिक्री के लिए रखे जाएंगे। कंपनी की योजना इस इश्यू से 302 करोड़ रुपये जुटाने की है।

कंपनी ने बताया कि इस निर्गम का 50 फीसदी हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी), 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) और शेष 35 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रखा गया है।

मैगी प्रकरण में हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामले किए निरस्त

सुप्रीम कोर्ट और सीएफटीआरआई की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने कहा- मुकदमा जारी रखना उचित नहीं

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 के चर्चित मैगी विवाद में दुकानदारों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि जब वैज्ञानिक जांच में मैगी के नमूने सुरक्षित पाए जा चुके हैं और लेड की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर मिली है, तब संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मामले का मूल आधार वैज्ञानिक रूप से समाप्त हो चुका है। ऐसे में केवल प्रारंभिक खाद्य सुरक्षा विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर लंबी आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत नहीं होगा। अदालत ने माना कि मिलावट का कोई ठोस प्रमाण अब उपलब्ध नहीं है। यह मामला वर्ष 2015 में सामने आया था, जब देश के

विभिन्न हिस्सों से मैगी के नमूने लिए गए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मसाला टेस्टमेकर में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा 2.5 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक होने तथा मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मौजूदगी के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों, आपूर्तिकर्ताओं तथा निर्माता कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की थी।

सुनवाई के दौरान आरोपित पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में मैगी पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया था। इसके बाद मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में दोबारा हुई जांच में लेड की मात्रा निर्धारित मानकों के भीतर पाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मैसूर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी नमूनों की जांच कर उन्हें सुरक्षित बताया।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि नमूना संग्रह की प्रक्रिया विधिसम्मत थी और पूर्व के न्यायिक निर्णय अलग संदर्भों में दिए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सभी लंबित आपराधिक मामलों को समाप्त कर दिया। अदालत के इस निर्णय से उन दुकानदारों को राहत मिली है, जो वर्षों से केवल उत्पाद की बिक्री के कारण कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे थे।

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 78,499 पर बंद

एशियाई बाजारों का मिला-जुला रुख, विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 456 अंक फिसलकर 78,499 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65 अंक की गिरावट के साथ 24,571 पर आ गया। कारोबार के दौरान बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली, जबकि आईटी और ऑटो क्षेत्र के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी बनी रही। बाजार में बैंकिंग शेयरों पर दबाव का असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया। इसके विपरीत सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के शेयरों में निवेशकों की रुचि बनी रही, जिससे इन क्षेत्रों में मजबूती दर्ज की गई। कारोबार के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहा, लेकिन अंतिम सत्र में बिकवाली के दबाव के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक निचले स्तर पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों का रुख भी मिला-जुला रहा। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 38 अंक यानी 0.60 प्रतिशत और जापान का निक्केई सूचकांक 77 अंक यानी 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं, हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 138 अंक यानी 0.54 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी पिछले कारोबारी सत्र के दौरान कमजोरी देखने को मिली थी। डाउ जोन्स 464 अंक यानी 0.85 प्रतिशत लुढ़क गया। वहीं, नैस्डैक में 15 अंक यानी 0.06 प्रतिशत और एसएंडपी 500 सूचकांक में 14 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले सात कारोबारी दिनों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2,408 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की है। हालांकि ताजा कारोबारी सत्र में उनका निवेश 18 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली के साथ दर्ज किया गया। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ताजा सत्र में 4,014 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। पिछले सात दिनों में उनकी कुल खरीदारी 7,532 करोड़ रुपये तथा पिछले 30 दिनों में 35,443 करोड़ रुपये रही।

अमित शाह 12 अगस्त को भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनने जा रही है। भारत मंडपम में 12 अगस्त से आयोजित होने वाला भारतीय व्यापार महोत्सव देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं का बड़ा मंच बनने जा रहा है। भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद रहेंगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में 12 से 15 अगस्त तक आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव को लेकर आज यहां आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने यह जानकारी दी।

एसबीआई की 'हर घर लखपति' योजना, छोटी मासिक बचत से जुटा सकते हैं एक लाख रुपये

- तीन से दस वर्ष की आवर्ती जमा योजना में लक्ष्य के अनुसार तय होती है मासिक किस्त

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ग्राहकों के लिए 'हर घर लखपति' नाम से विशेष आवर्ती जमा (रिकरिंग डिपॉजिट) योजना संचालित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को नियमित मासिक बचत के माध्यम से परिपक्वता अवधि पूरी होने पर एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जुटाने में सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत निर्धारित अवधि तक हर महीने निश्चित राशि जमा कर ग्राहक अपने बचत लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।

यह योजना एक लक्ष्य आधारित आवर्ती जमा उत्पाद है, जिसमें निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि का लक्ष्य पहले से तय कर सकते हैं। इसके आधार पर हर महीने जमा की जाने वाली किस्त निर्धारित होती है। योजना में एक लाख रुपये के अलावा दो लाख, तीन लाख, चार लाख या उससे अधिक का लक्ष्य भी चुना जा सकता है।

आवर्ती जमा ऐसी बचत योजना है, जिसमें निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। यह व्यवस्था नियमित आय वाले लोगों के लिए छोटी-छोटी बचत को बड़े कोष में बदलने का अवसर प्रदान करती है। योजना पूरी होने पर जमा राशि के साथ निर्धारित ब्याज भी प्राप्त होता है।

'हर घर लखपति' योजना की परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक निर्धारित की गई है। निवेशक अपनी सुविधा और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार अवधि का चयन कर सकते हैं। लक्ष्य राशि जितनी अधिक होगी, उसके अनुरूप मासिक किस्त भी बढ़ जाएगी।

योजना में बैंक निर्धारित ब्याज दर के अनुसार परिपक्वता राशि की गणना करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना में 7.05 प्रतिशत तक ब्याज का लाभ दिया जा रहा है। नियमित बचत की आदत विकसित करने और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए धन संचय करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है, जिससे कम राशि की मासिक बचत के माध्यम से भी बड़ा कोष तैयार किया जा सकता है।

सुनवाई एफएसएसएआई के आदेश पर अंतरिम स्थगन, अगली सुनवाई तक शहद, घी समेत उत्पादों की बिक्री जारी रहेगी

डाबर को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, '100 प्रतिशत प्योर' उत्पादों की बिक्री पर रोक टली

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें '100 प्रतिशत प्योर', '100 प्रतिशत नेचुरल' और '100 प्रतिशत ऑर्गेनिक' जैसे दावों वाले उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई तक एफएसएसएआई का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा और संबंधित उत्पादों की बिक्री जारी रहेगी।

एफएसएसएआई ने जिन उत्पादों पर आपत्ति जताई थी, उनमें डाबर हनी, डाबर हनी स्क्वीज़ी, डाबर सुंदरबंस हनी, डाबर

हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर, डाबर वर्जिन कोकोनट ऑयल, डाबर काउ घी, रियल एक्टिव 100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क तथा डाबर ऑर्गेनिक हनी शामिल हैं। नियामक का कहना था कि '100 प्रतिशत' जैसे दावे अस्पष्ट हैं और इनका सत्यापन संभव नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं के भ्रमित होने की आशंका रहती है।

डाबर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2018 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कंपनी के अनुसार, कार्रवाई से पहले न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही सुधार का अवसर दिया गया। कंपनी का यह भी कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 किसी अधिकारी को सीधे बिक्री रोकने का अधिकार नहीं देती। साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि '100 प्रतिशत प्योर' या '100 प्रतिशत नेचुरल' जैसे दावे किस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हैं।

मिलावटी, असुरक्षित या नकली हैं विवाद केवल पैकेजिंग और लेबल पर प्रयुक्त शब्दों तक सीमित

कंपनी ने अदालत को बताया कि यह विवाद उत्पादों की गुणवत्ता या सुरक्षा से संबंधित नहीं है। एफएसएसएआई ने भी अपने आदेश में कहीं यह नहीं कहा कि उत्पाद मिलावटी, असुरक्षित या नकली हैं। विवाद केवल पैकेजिंग और लेबल पर प्रयुक्त शब्दों तक सीमित है। कंपनी का कहना था कि आदेश के कारण बाजार में उपलब्ध उत्पाद वापस मंगाने, पुनर्पैकेजिंग करने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की स्थिति बन गई थी। अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल डाबर अपने संबंधित उत्पादों की बिक्री पहले की तरह जारी रख सकेगी। अब एफएसएसएआई और केंद्र सरकार अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि तीन अगस्त को जारी आदेश विधिसम्मत था या नहीं। यह मामला खाद्य उत्पादों की लेबलिंग, नियामकीय अनुपालन और उपभोक्ता जानकारी से जुड़े मानकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।